**बिहार सरकार**
**सामान्य प्रशासन विभाग**

**अधिसूचना**

पटना–15, दिनांक 04/10/2025

संख्या–7/स्था0–04–36/2025सा0प्र0 18784 /भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, उच्च न्यायालय, पटना के परामर्श से बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) नियमावली, 2019 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

**बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) (संशोधन) नियमावली, 2025**

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।**–(1) यह नियमावली बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) (संशोधन) नियमावली, 2025 कहलाएगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

2. **बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) नियमावली, 2019 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–20 का प्रतिस्थापन।**–उक्त नियमावली के नियम–20 निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

"20 इस अवधि के दौरान, परिवीक्षाधीन को दंड न्यायालय नियमावली (पूर्ववर्ती उच्च न्यायालय की सामान्य नियमावली और परिपत्र, आदेश, दांडिक) और भारतीय दंड संहिता तथा दंड प्रक्रिया संहिता के महत्वपूर्ण अंशों का अध्ययन करना चाहिए और भारतीय दंड संहिता के अध्यायों XII और XVIII के अधीन अपराधों के लिए अभियोजन के निदेश या मंजूरी से संबंधित प्रक्रिया का विशेष टिप्पण लेना चाहिए। दंड न्यायालय में प्रशिक्षण कार्य, यथासंभव, उसी तरीके से होना चाहिए जैसा कि उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन और रजिस्टरों के निरीक्षण सहित, मुंसिफ़ या अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय में परिवीक्षाधीन के प्रशिक्षण के लिए उस नियमावली के नियम 13–18 के अधीन विहित है, परिवीक्षाधीन में उसके प्रशिक्षण के कम से कम 01 वर्ष का प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत परिवीक्षाधीन को द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ निहित की जा सकेगी। सत्र न्यायाधीश का कर्त्तव्य होगा कि वह मजिस्ट्रेट के कार्य में परिवीक्षाधीन के प्रशिक्षण की व्यवस्था करें ताकि वह आपराधिक विचारणों में विधि एवं प्रक्रिया की ठोस जानकारी प्राप्त कर सकें:

बशर्ते कि यदि नियम 25 के अधीन उच्च न्यायालय प्रशिक्षण की समयावधि में परिवर्तन करता है और परिवीक्षाधीन को तीन माह से अधिक समय के लिए मजिस्ट्रेट के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त करना हो, तो उसे द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के छः (06) माह पूरा होने के बाद, यदि उच्च न्यायालय इसे समीचीन या आवश्यक समझता हो, तो उसमें प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ निहित की जा सकेंगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

4/10/25

(**गुफ़रान अहमद**)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–7 / स्था0–04–36 / 2025सा0प्र0 18784 / पटना–15, दिनांक 04/10/2025

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना तथा ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को उक्त अधिसूचना की दो प्रतियाँ सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इसकी 200 (दो सौ) प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

4/10/25

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–7 / स्था0–04–36 / 2025सा0प्र0..... / पटना–15, दिनांक.....

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना / महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद सं0–92 दिनांक 03.10.2025 के प्रसंग में / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना / सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4/10/25

सरकार के अपर सचिव।

**Government Of Bihar**
**General Administration Department**

**Notification**

Patna, Dated..04/10/2025

No-7/Astha-04-36/2025-GAD..18784...../In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India the Governor of Bihar, in consultation with the High Court of Judicature at Patna is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Training and Departmental Examination) Rules, 2019:-

**The Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Training and Departmental Examination), (Amendment) Rules, 2025**

1. **Short title, extent and commencement.-(1)** These Rules may be called the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Training and Departmental Examination) (Amendment) Rules, 2025.

**(2)** It shall extend to the whole of the State of Bihar.

**(3)** It shall come into with immediate effect.

2. **Substitution of Rule 20 of the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Training and Departmental Examination) Rules, 2019 (as amended from time to time).**-Rule 20 of the said rules shall be substituted as follows:-

"**20** During this period, the probationer should read the Criminal Court Rules (erstwhile High Court's General Rules and Circular Orders, criminal) and the important portions of the Indian Penal Code and the Code of Criminal Procedure and take special notes of the procedure in respect of directing or sanctioning prosecution for offences under Chapters XII and XVIII of the Indian Penal Code. Training in criminal court work should be, as far as possible, on the same lines as those prescribed under Rules 13 to 18 of those Rules for the training of a probationer in the court of a Munsif or

Subordinate Judge, including inspection of registers and under the orders of the High Court, the probationer may be vested with the powers of Judicial Magistrate of 2nd Class after completion of at least 1 year of training. It will be the duty of the Sessions Judge to arrange for the training of the probationer in magisterial work so that he may acquire a sound insight into the law and procedure in criminal trials:

Provided that if the High Court under Rule 25, varies the length of the period of training and the probationer has to undergo training of magisterial work for more than three months, he may, if the High Court consider it expedient or necessary, be vested with the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class after completion of six (06) months of exercising powers of Judicial Magistrate of 2nd Class."

By the Order of Governor of Bihar

4/10/25

(**Ghufran Ahmad**)
Additional Secretary to the Government.

Memo No.-7/Astha.-04-36/2025-GAD..18784./Patna-15, dated.....04/10/2025

Copy forwarded to Superintendent, Govt. Press, Gulzarbagh, Patna for publication in forth coming issue of Govt. Gazette.

2. Kindly send 200 (Two Hundred) Copies of this notification to General Administration Department.

4/10/25

Additional Secretary to the Government

MemoNo.-7/Astha.-04-36/2025G.A...../Patna-15 Date.....

Copy forwarded to Accountant General (A & E), Bihar, Patna/Registrar General, High Court, Patna/Additional Chief Secretary, Cabinet Secretariat in reference to Cabinet Item No.-92 dated 03.10.2025/Secretary, Bihar Public Service Commission, Patna/ Secretary, Law Deptt./ All Principal District and Sessions Judge/All Departments/All Head of Departments and I.T. Manager, G.A.D. for information and necessary action.

4/10/25

Additional Secretary to the Government.